रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 793] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1998/अग्रहायण 17, 1920
No. 793] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1998/AGRAHAYANA 17, 1920

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1048 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं॰ 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कर विवाद समाधान स्कीम (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 1998 है ।

(2) यह 1 सितम्बर, 1998 से लागू समझा जाएगा ।

2. जहां, यथाभिहित प्राधिकारी को, शुल्कों की राशि के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति से संबंधित कर बकाया की बाबत (जिसके अन्तर्गत शुल्क की वापसी राशि, शुल्क का प्रत्यय या शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई राशि सम्मिलित है) उपकरों, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की बाबत, जो 31 मार्च, 1998 को या उससे पूर्व जारी की गई किसी मांग सूचना या किसी हेतुक दर्शित सूचना की विषयवस्तु बनती है, किन्तु अवधारित रह जाती है, कोई घोषणा कर दी गई है तथा जो किसी घोषणा करने की तारीख को लम्बित अवधारित रह जाती है और जहां उक्त घोषणा

में कथित उसी विषय की बाबत किसी अन्य व्यक्ति को कोई हेतुक दर्शित करने की सूचना भी जारी कर दी गई है और घोषणा करने की तारीख को वह लम्बित न्यायनिर्णीत है, तब जुर्माना या धारित अधिरोपण के लिए कोई सिविल कार्यवाही ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाकर्ता के पक्ष में कोई परिनिर्धारण ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत भी पूर्ण और अन्तिम समझा जाएगा, जिसकी घोषणा के अन्तर्गत आने वाले उसी विषय पर कोई हेतुक दर्शित सूचना जारी की गई थी ।

[डी. ओ. एफ. 275/33/98-सी एक्स 8ए-पार्ट]

लता गुलाटी, अवर सचिव

वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97 के अन्तर्गत कर विवाद समाधान योजना (कठिनाई निवारण) आदेश, 1998 का व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

केन्द्रीय बजट, 1998 के एक भाग के रूप में घोषित कर विवाद समाधान योजना, 1998 के अन्तर्गत लम्बित कारण बताओ नोटिसों के कुछेक श्रेणी के मामलों के समाधान में पेश आ रही कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनमें कुछेक सह-नोटिस प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध मूल नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल होने के लिए उसी मामले में दाण्डिक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है ।

योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97(1) के उपबन्धों के अनुसार एक कठिनाई निवारण आदेश जारी करने का निर्णय लिया है । अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि जुर्माना अथवा अर्थदण्ड लगाने के लिए सह-नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ कोई दीवानी कार्यवाही नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में योजना के अन्तर्गत घोषणाकर्ता के हक में किए गए समझौते को उन अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी पूर्ण और अन्तिम माना जाएगा जिनके नाम उसी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
ORDER
New Delhi, the 8th December, 1998

S.O. 1048 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 of the Finance (No.2) Act, 1998, the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. (1) This order may be called the Kar Vivad Samadhan Scheme (Removal of Difficulties) Order, 1998.

   (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 1998.

2. Where a declaration to the designated authority has been made in respect of tax arrear in relation to indirect tax enactment for the amount of duties (including drawback of duty, credit of duty or any amount representing duty), cesses, interest, fine or penalty which constitutes the subject matter of a demand notice or a show cause notice issued on or before the 31st day of March, 1998 but remaining unpaid, and pending determination on the date of making a declaration and, where, in respect of the same matter stated in the said declaration, a show cause notice has also been issued to any other person and is pending adjudication on the date of making the declaration, then, no civil proceeding for imposition of fine or penalty shall be proceeded with against such other person and in such cases the settlement in favour of the declarant under sub-section (1) of section 90 shall be deemed to be full and final in respect of such other person also on whom a show cause notice was issued on the same matter covered under the declaration.

[D.O.F. 275/33/98-CX-8A-Pt]
LATA GULATI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE KAR VIVAD SAMADHAN SCHEME (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 1998 UNDER SECTION 97 OF THE FINANCE (NO.2) ACT 1998

Under the Kar Vivad Samadhan Scheme 1998, announced as a part of the Union Budget 1998, attention of the Govt. has

been drawn to the difficulties being encountered in settlement of certain categories of cases of pending show casuse notices involving also certain co-noticees against whom penal action is proposed in the same case for the alleged involvement for the irregularities committed by the principal noticee.

Having due regard to the aims and objects of the Scheme, the Govt. have decided to issue an order for removal of difficulties in terms of the provisions of Section 97(1) of the Finance (No.2) Act, 1998. It has been inter alia, clarified that no civil proceedings for imposition of fine or penalty shall be proceeded with against the co-noticees and in such cases the settlement in favour of the declarant under the Scheme shall be deemed to be full and final in respect of other persons also on whom show cause notices were issued on the same matter.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.